



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GE 67/143

(प्रारूप - "ब")

प्रदेश में स्थित सोसाइटी/ट्रस्ट जिसके द्वारा डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही है अथवा सत्र 2023-24 में संचालित किये जाने का प्रस्ताव है के अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत किये जाने वाला नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप -

हम डॉ. सुनील कुमार मिश्रा (नाम अध्यक्ष) व रजिनी सुन्दर मिश्रा (नाम सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव गौ. वि. प्रौद्योगिकी विद्यालय, दिल्ली ट्रस्ट (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) से संबंधित नोटरी शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं कि -

- यह कि, हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा निम्न शिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।
 - अ. डॉ. सुनील कुमार मिश्रा प्रौद्योगिकी विद्यालय, दिल्ली
 - ब. प्रो. रजिनी सुन्दर मिश्रा प्रौद्योगिकी विद्यालय, दिल्ली
 - स.
 - द.
- यह कि, हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम निम्न विवरण के अनुसार भूमि उपलब्ध है :-

क्रम संख्या	पता	गाटा संख्या	भूमि का रकबा	भूमि हेक्टेयर में
1	2	3	4	5
1	गौ. वि. प्रौद्योगिकी विद्यालय	414	0.830 हे०	0.830 हे०
2	डॉ. सुनील कुमार मिश्रा	2634, 2688	140, 224 3.004 हे०	4
3				

Handwritten signature and date: 24/8/2023

3. यह कि उपरोक्त अनेक शिक्षण संस्थाओं को निम्न विवरण के अनुसार हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा भूमि आवंटित की गयी है -

क्रम संख्या	संस्था का नाम	आवंटित भूमि का भवन	पता	गाटा संख्या	रकबा	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
1.	डा. ए. ए. सिन्हा / गवर्नर कॉलेज, गोरखपुर	0.830 हे०	गोरखपुर	416	0.830	0.830
2.	पं. विद्याजी विद्यापीठ, गोरखपुर	2.0 हे०	गोरखपुर	2635	2.0 हे०	2.0 हे०

4. यह कि, उपरोक्त स्थिति सम्बंधित शिक्षण संस्थान के संचालन के प्रारम्भ के समय की है, एवं इसमें कालान्तर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त विवरण में निम्नवत बदलाव किया गया है, और आज की तिथि का विवरण निम्नवत है :-

क्रम संख्या	संस्था का नाम	पता	भूमि का विवरण		
			गाटा संख्या	कुल रकबा	कुल भूमि हे० में
1	2	3	4	5	6
1	N.A				
2					
3					

6. यह कि, भविष्य में यदि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा कोई नई भूमि क्रय की जाती है तो उसका विवरण परिषद कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
7. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अधिलेख/दस्तावेज फर्जी कूटचिह्नित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।



29/9/2023.
ह० सचिव

S.K.
20-9-23
ह० अध्यक्ष